

प्रेस नोट दिनांक 06.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का0 अतुल कुमार यादव व रि0का0 अंकुर मौर्या द्वारा तलाश वांछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय एडिशनल सिविल जज (जे0डी0)/मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या-23, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी NBW वारंट, सेशन केस संख्या 2001812/2010 राज्य सरकार बनाम कृष्णा कुमार तथा मु0अ0सं0 209/1994, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त कृष्णा कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- कृष्णा कुमार थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह का0 अतुल कुमार यादव व रि0का0 अंकुर मौर्या, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 02 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लालगंज के उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 आलोक कुमार यादव, रि0का0 गुलशन कुमार व सरकारी वाहन चालक हो0गा0 आनन्द मिश्र द्वारा तलाश वारण्टी अभियुक्त के दौरान माननीय न्यायालय कोर्ट नं0-13, प्रतापगढ़ द्वारा जारी एनबीडब्ल्यू, क्रिमिनल केस नं0-1051/20, अ0सं0 71/2001 धारा 323/504 भादवि, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त 1. जुम्मन पुत्र नन्हकू दर्जी, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम महिमापुर पूरे पंडित खालसा सादात, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ 2. रामू वर्मा पुत्र राम सुन्दर वर्मा, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे पंडित खालसा सादात, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- जुम्मन पुत्र नन्हकू दर्जी, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम महिमापुर पूरे पंडित खालसा सादात, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

2- रामू वर्मा पुत्र राम सुन्दर वर्मा, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी ग्राम पूरे पंडित खालसा सादात, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 बनवारी लाल पाल मय हमराह का0 आलोक कुमार यादव, रि0का0 गुलशन कुमार व सरकारी वाहन चालक हो0गा0 आनन्द मिश्र, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत थाना बाघराय पुलिस द्वारा कुल 1.205 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त विजय बहादुर सिंह को किया गया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस अभियुक्त को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत फकीर का पुरवा रामबन गवन मार्ग अण्डर पास पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन प्रहार” प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 लालजी राम मय हमराह का रविन्द यादव, का0 रजनीश कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 01 अभियुक्त विजय बहादुर सिंह पुत्र स्व0 सत्य नारायण सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी देवरी हरदो पट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को कुल 1.205 कि0ग्रा0 अवैध गांजा के साथ थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत फकीर का पुरवा रामबन गवन मार्ग अण्डर पास पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया

अभियुक्त के कब्जे से कुल 1.205 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0सं0-262/2026 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. विजय बहादुर सिंह पुत्र स्व० सत्य नारायण सिंह उम्र 42 वर्ष निवासी देवरी हरदो पट्टी थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

कुल 1.205 कि०ग्रा० अवैध गांजा बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० लालजी राम मय हमराह का रविन्द यादव, का० रजनीश कुमार थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान-

जनपद प्रतापगढ़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं प्रसार की रोकथाम हेतु प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा निरंतर विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद को नशामुक्त वातावरण प्रदान करना तथा समाज, विशेषकर युवाओं, को इस गंभीर बुराई से सुरक्षित रखना है।

आमजन से अपील है कि यदि कहीं भी अवैध रूप से मादक पदार्थों का निर्माण, क्रय-विक्रय या तस्करी होती दिखाई दे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर — 6307363107 पर दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय पुलिस द्वारा टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय पुलिस द्वारा जियो मोबाइल टावर पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने एवं पुलिस के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने वाले अभियुक्त सुरेश सरोज पुत्र स्व० महावीर सरोज, निवासी ग्राम लक्ष्मणपुर सिया, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 05.10.2026 को ग्राम छेवंगा स्थित जियो मोबाइल टावर पर अभियुक्त द्वारा चढ़कर आत्महत्या करने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस द्वारा समझा-बुझाकर उसे सकुशल टावर से नीचे उतारा गया। प्रकरण में थाना बाघराय पर मु०अ०सं० 260/2026 धारा 221/226/351(2) बीएनएस पंजीकृत है। अभियुक्त को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विनोद सिंह यादव मय हमराह का0 अरविन्द कुमार भारती, का0 सुनील कुमार, थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 69/352/351(3) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त इस्तेखार अली पुत्र अकबर अली, निवासी सैयदन मोहल्ला सिटी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष को ग्राम सुखपाल नगर बाईपास के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- इस्तेखार अली पुत्र अकबर अली, निवासी सैयदन मोहल्ला सिटी, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 20 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अभिषेक सिंह वर्मा, हे0का0 रामबचन, का0 विशाल सोनकर, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा 80.81 ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs) बरामद, अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त अमन यादव गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस की कार्यवाही, 80.81 ग्राम अवैध एम.डी. के साथ अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों एवं अवैध मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में थाना फतनपुर के उ०नि० शिशिर पटेल व उ०नि० रामबली चौहान मय हमराह हे०का० सुनील यादव, का० सुशील पटेल व का० दीपक राजभर द्वारा कार्यवाही करते हुए अन्तर्जनपदीय ०१ अभियुक्त अमन यादव पुत्र नन्हेलाल यादव, उम्र करीब २५ वर्ष, निवासी ग्राम अमावां, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर को प्रतापगढ़-मुंगराबादशाहपुर रोड पर करका मोड़ ग्राम शिवगढ़ा पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से ८०.८१ ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs) बरामद हुआ। जिसके संबंध में थाना फतनपुर पर मु०अ०सं० २४६/२०२६ धारा २२(सी) एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-

१. अमन यादव पुत्र नन्हेलाल यादव, उम्र करीब २५ वर्ष, निवासी ग्राम अमावां, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त अमन यादव पुत्र नन्हेलाल यादव का अपराधिक इतिहास-

१. मु०अ०सं०-०२४६/२०२२, धारा ३२३/३२५/५०४/५०६ IPC, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
२. मु०अ०सं०-००२३/२०२५, धारा ११५(२)/१२७(२)/१९१(२)/२४(४)/३५१(२)/३५२ BNS, थाना मुंगराबादशाहपुर, जनपद जौनपुर।
३. मु०अ०सं०-०२४६/२०२६, धारा २२(सी) N.D.P.S. Act, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

* ८०.८१ ग्राम अवैध एम.डी. (Methamphetamine Drugs)।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० शिशिर पटेल व उ०नि० रामबली चौहान मय हमराह हे०का० सुनील यादव, का० सुशील पटेल व का० दीपक राजभर, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।